<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 366 / 17</u> संस्थापन दिनांक:-13 / 06 / 17 फायलिंग नं. 365 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. जितेंद्र पिता गणेश प्रसाद मोखडे, उम्र 29 वर्ष
- ललिता पित गणेश प्रसाद मोखड़े, उम्र 61 निवासी वार्ड नं. 07 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 26.04.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498(ए) भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.05.2017 को समय रात्रि 10:00 बजे थाना आमला से 01 किमी. उत्तर दिशा की ओर स्थित फरियादी कल्पना के घर वार्ड नं. 07 होण्डा शोरूम के पास आमला में फरियादी कल्पना के पित एवं पित के नातेदार होते हुए उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त जितेंद्र से करीब तीन वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही अभियुक्तगण उसे छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर मारते पीटते रहते थे जिसकी उसने परिवार परामर्श केंद्र में भी रिपोर्ट की थी जिसमें अभियुक्तगण ने समझौता कर लिया था लेकिन इसके बाद भी अभियुक्तगण उसे छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे और उनके द्वारा की जा रही प्रताड़ना में कोई फर्क नहीं आया। दिनांक 14.05.2017 को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्त जितेंद्र ने उसे खाने की बात को लेकर गंदी गंदी गालियां दी और हाथ मुक्के, थप्पड़ से मारपीट की जिससे उसे पीठ, हाथ, पैर में चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 253/17 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये।

फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। फरियादी से विवाह का इकरारनामा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323 अथवा 323 / 34, 506 भाग—दो भा.द. सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 498(ए) भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.05.2017 को समय रात्रि 10:00 बजे थाना आमला से 01 किमी. उत्तर दिशा की ओर स्थित फरियादी कल्पना के घर वार्ड नं. 07 होण्डा शोरूम के पास आमला में फरियादी कल्पना के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?''

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 कल्पना (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त जितेंद्र उसका पित एवं अभियुक्त लिलता उसकी सास है। उसका अभियुक्तगण से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था तथा वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आ गयी थी जिससे गुस्से में आकर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध (प्रदर्श पी—1) की रिपोर्ट लिखवा दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।
- 7 साक्षी कल्पना (अ.सा.—1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे

जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण उसे छोटी छोटी बात को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रातिड़त कर मारते पीटते थे तथा दिनांक 14.05.2017 को अभियुक्तगण ने मुझे खाने की बात को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर उसके साथ हाथ मुक्के थप्पड़ से मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस सुझाव को सही बताया है कि उसका अभियुक्तगण से घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना आमला में की थी तथा वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण उसे छोटी छोटी घरेलू बातों को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे तथा घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गाली देकर उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने स्वतः में व्यक्त किया है कि मामूली विवाद हुआ था। साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ कूरता कारित की गयी हो। निष्कर्षतः अभियुक्तगण जितेंद्र एवं लिलता को धारा 498—ए भाठदंठसंठ के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)